

**ड्राई डे पर शराब सप्लाई करते 2 अरेस्ट**

विस्, डाबड़ी: ड्राई डे पर लोगों को महंगे दामों पर शराब की सप्लाई करने की कोशिश में लगे दो लोगों को दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया है। दोनों के पास से 93 कार्टन अवैध शराब बरामद हुई है। इन दोनों को डाबड़ी क्षेत्र

से स्पेशल स्टाफ ने गिरफ्तार किया। 15 अगस्त के दौरान पूरी दिल्ली में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी। स्पेशल स्टाफ की एक टीम एसीपी सुरेंद्र सिंह यादव की अगुआई में डाबड़ी क्षेत्र की स्थिति पर नजर रखे हुए थे। 15 अगस्त ड्राई डे

होता है, ऐसे में इस दिन शराब न बिके इस पर भी पुलिस की नजर थी। पुलिस को सूचना मिली की डाबड़ी के सीतापुरी के पास भारी मात्रा में अवैध शराब टुक से उतारी गई है, पुलिस को अवैध शराब का बड़ा जखीरा बरामद हुआ।

Public Announcements in Naveen Times on 17 Aug 2018

**प्रपत्र ए**

**सार्वजनिक सूचना**

(इंसाइलेन्सी एण्ड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इण्डिया के नियम 6 के अन्तर्गत)

(कॉर्पोरेट पर्सन्स हेतु इंसाइलेन्सी रेसोल्यूशन प्रोसेस) अधिनियम, 2016)

जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के क्रेडिटर्स के ध्यानार्थ

**सम्बन्धित विवरण**

1	कॉर्पोरेट देनदार का नाम	जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड
2	कॉर्पोरेट देनदार के निगमन की तारीख	5 अप्रैल 2007
3	प्राधिकारी जिसके अन्तर्गत कॉर्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है।	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, कम्पनीज अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत
4	कॉर्पोरेट देनदार का कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नं०/लिमिटेड लाइसेंसिड आइडेंटिफिकेशन नं०	L46203UP2007PLC033119
5	कॉर्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा शिपिंग कार्यालय (यदि कोई हो) का पता।	सेक्टर-128, गीताम बुद्ध नगर, भोवडा- 201304 (उ.प्र.)
6	कॉर्पोरेट देनदार से सम्बन्धित इंसाइलेन्सी प्रारम्भ तिथि	09 अगस्त 2017 आर्बीसी के अन्तर्गत इंसाइलेन्सी के प्रारम्भ होने की तारीख। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार CIRP के उद्देश्य हेतु 09 अगस्त 2018 से 180 दिन होंगे। अभी तक क्लेम 09.08.2017 तक के जमा किए जायेंगे।
7	इंसाइलेन्सी रेसोल्यूशन प्रक्रिया की बंदी की अनुमानित तारीख।	5 फरवरी 2019-माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09 अगस्त 2018 की तारीख से 180 दिन।
8	अंतरिम रेसोल्यूशन प्रोसेस के रूप में कार्यरत इंसाइलेन्सी प्रोफेशनल का नाम तथा पंजीकरण संख्या।	नाम: अनुज जैन पंजीकरण सं० IBB/MPA-001/IP-P00142/2017-18/10306
9	अंतरिम रेसोल्यूशन प्रोफेशनल का पता तथा ई-मेल जैसा कि बोर्ड के पास पंजीकृत है।	बीएलआरआर एण्ड कंपनी पता: बिल्डिंग नं. 10, 8वां तल, टॉवर बी, डीएलएफ साइबर सिटी, फेज II, गुरुग्राम-122002 (हरियाणा) पंजीकरण संख्या: IBB/MPA-001/IP-P00142/2017-18/10306 Email: anujjain@bsraffiliates.com
10	अंतरिम रेसोल्यूशन प्रोफेशनल के पास पत्राचार में प्रयोग किए जाने हेतु पता तथा ई-मेल।	बीएलआरआर एण्ड कंपनी पता: बिल्डिंग नं. 10, 8वां तल, टॉवर बी, डीएलएफ साइबर सिटी, फेज II, गुरुग्राम-122002 (हरियाणा) पंजीकरण संख्या: IBB/MPA-001/IP-P00142/2017-18/10306 Email: lrpjll@bsraffiliates.com Claim data uploaded on www.jaypeeinfotech.com
11	क्लेम प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	28 अगस्त 2018
12	अंतरिम रेसोल्यूशन प्रोफेशनल द्वारा सेक्शन 21 के सब-सेक्शन (6ए) के क्लेम (बी) के अन्तर्गत निर्धारित क्रेडिटर्स की श्रेणी, यदि कोई हो।	1. होम बायर्स 2. फिक्स्ड डिपॉजिट होल्डर्स
13	इंसाइलेन्सी प्रोफेशनल जो कि एक के तहत एक क्लेम में क्रेडिटर्स के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में आइडेंटिफाइड हैं, के नाम।	फिक्स्ड डिपॉजिट होल्डर्स 1. संजीव आरुजा (IBB/MPA-002/IP-P00028/2016-17/10061) 2. अजय अग्रवाल (IBB/MPA-001/IP-P00108/2017-18/10213) 3. कुलदीप वर्मा (IBB/MPA-001/IP-P00014/2016-17/10038)
14	(ए) सम्बन्धित प्रपत्र दावे साक्ष्य सहित इंसाइलेन्सी एण्ड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इण्डिया (कॉर्पोरेट पर्सन्स हेतु इंसाइलेन्सी रेसोल्यूशन प्रोसेस) अधिनियम, 2016 के चैप्टर IV के अनुसार जमा करने होंगे। दावे के साक्ष्य निम्नलिखित निर्धारित प्रारूपों में जमा करने होंगे: प्रपत्र - बी - आपरेशनल क्रेडिटर्स द्वारा क्लेम हेतु प्रपत्र - सी - फाइनेंशियल क्रेडिटर्स द्वारा क्लेम हेतु प्रपत्र - सीए - होम बायर्स तथा एफडी होल्डर्स द्वारा क्लेम हेतु प्रपत्र - डी - वर्कमैन तथा कर्मचारियों द्वारा क्लेम हेतु प्रपत्र की प्रति हेतु आप उपरोक्त अंकित प्रपत्र वेबसाइट www.ibbi.gov.in तथा इंसाइलेन्सी एण्ड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इण्डिया (कॉर्पोरेट पर्सन्स हेतु इंसाइलेन्सी रेसोल्यूशन प्रोसेस) अधिनियम, 2016 से डाउनलोड करें। (बी) अधिकृत प्रतिनिधि का विवरण <a href="http://www.jaypeeinfotech.com">www.jaypeeinfotech.com</a> पर उपलब्ध है। (सी) होम बायर्स जिन्होंने क्लेम फार्म हाल ही में बी,सी,एफ प्रपत्रों के अन्तर्गत प्रस्तुत किए हैं, प्रपत्र सीए के अन्तर्गत क्लेम के निर्धारण हेतु विचार किया जायेगा। डिफरेंस होने की स्थिति में केवल होम बायर्स संशोधित क्लेम प्रस्तुत कर सकते हैं।	

एलवदार सूचना दी जाती है कि नेशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल द्वारा 09 अगस्त, 2017 को जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के विरुद्ध कॉर्पोरेट इंसाइलेन्सी रेसोल्यूशन प्रक्रिया प्रारम्भ करते हेतु आदेशित किया गया है। फिलहाल माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 9 अगस्त, 2018 द्वारा CIRP हेतु In/IL/1 अवधि 180 दिनों की गई है जो 09 अगस्त 2018 से प्रारम्भ होगी।

जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के क्रेडिटर्स को गुप्तद्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी वेबसाइट [www.jaypeeinfotech.com](http://www.jaypeeinfotech.com) पर अपलोड अपने क्लेम को सत्यापित करें। यह पूर्व में की गई रिक्तिसिलेशन पर आधारित है। यदि क्लेम की एडमिटेड धनराशि में कोई अन्तर है, तो क्रेडिटर अपने क्लेम साक्ष्य सहित 28 अगस्त 2018 तक या इससे पूर्व अंतरिम रेसोल्यूशन प्रोफेशनल को प्रेषित करें। हालांकि, विद्यमान क्रेडिटर्स अपने क्लेम साक्ष्य सहित केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जमा करेंगे। अन्य सभी क्रेडिटर्स क्लेम साक्ष्यों सहित व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जमा कर सकते हैं। एक क्लेम से सम्बन्धित विद्यमान क्रेडिटर्स टीम कि प्रतिनिधि सं. 12 में लिस्टेड हैं, अधिकृत प्रतिनिधि हेतु अपनी रॉच प्रतिक्रिया सं. 13 में लिस्टेड तीन साइलेन्सी प्रोफेशनल में से अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु क्लेम (होम बायर्स तथा फिक्स्ड डिपॉजिट होल्डर्स) कोर करेंगे। इंसाइलेन्सी प्रोफेशनल की प्रोफाइल कम्पनी वेबसाइट पर अपलोड है। नोटिंग ऑनलाइन नोटिंग पोर्टल के माध्यम से की जायेगी। विस्तृत नोटिंग निर्देश डाउनलोड सहित कम्पनी वेबसाइट [www.jaypeeinfotech.com](http://www.jaypeeinfotech.com) पर अपलोड हैं। प्रत्येक क्लेम के क्रेडिटर हेतु, नोटिंग शेयर उनके क्लेम की धनराशि सहित कम्पनी की वेबसाइट पर defined किया गया है। क्लेम के साथ गलत अथवा भ्रमक साक्ष्य प्रस्तुत करने पर फेनल्टी लागेगी।

स्थान: नई दिल्ली  
दिनांक: 17 अगस्त, 2018

Sd/  
अनुज जैन  
अंतरिम रेसोल्यूशन प्रोफेशनल

ANUS JAIN  
INTERIM RESOLUTION PROFESSIONAL

Company under Corporate insolvency resolution process by NCLT Order, dated August 9, 2017

17/8